

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:एफ.1467 सीसी/स्वा.का.पु./2018/1550

दिनांक : 11/6/18

संशोधित आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की S.B.C.W.P. No. 23265/17 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 21.12.17 की पालना में श्री कलुआराम पुत्र स्व श्री परसादी लाल को स्वीकृत संशोधित चयनित वेतन श्रंखला/ए.सी.पी. के स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ.1467 सीसी/स्वा.का.पु./2018/966 दिनांक 25.04.18 की प्रतिलिपी क्रमांक 5 एवं 6 में आंशिक संशोधन कर संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर के स्थान पर संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-भरतपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर के स्थान पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर किया जाता है। आदेश का शेष भाग यथावत् रहेगा।

(राकेश शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:एफ.1467 सीसी/स्वा.का.पु./2018/1550

दिनांक : 11/6/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. उप शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन भरतपुर/जयपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर/अलवर।
7. खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डीग (भरतपुर)।
8. संबंधित याचिकाकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर